30(1)

& 201

समक्ष :- माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ , बिलासपुर (छ.ग.)

मिसलेनियस अपील नं. 482 /03

अपीलार्थीगण:- 1. राजगुलाटी उम्र लग.40 वर्ष.आत्मज स्व. श्री के.एस. गुलाटी

2. श्रीमती ऊषा गुलाटी उम्र लग.32 वर्ष धर्मपत्नी श्री राज गुलाटी.

दोनों निवासी -92 सुभाष मार्ग, कोरबा , तह./जिला- कोरबा (छत्तीसगढ़).

// विरूद्ध //

उत्तरवादीगण:- 1. कल्लूदास आत्मज ननकूदास उम्र 53 वर्ष निवासी ग्राम-जोधापुर थाना-धमतरी जिला-धमतरी (छत्तीसगढ़) चालक ट्रक क्रं.-एम.ओ.आर. 6111

2. श्रीमती रणजीत कौर धर्मपत्नी हरबक्य सिंह निवासी-रिसाली पारा, धमतरी जिला-रायपुर मालिक ट्रक क्रं.- एम.ओ.आर. 6111

P.R. No. A192403
Presented by Shri S.N. Shukla
dated 25.03.03

3. न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,बजरंग मार्केट, रायपुर (छत्तीसगढ़) (बीमा कंपनी ट्रक क्रं.-एम.ओ.आर. 6111)

4. तुलू बहादुर आत्मज धनराज श्रेष्ठ आयु 30 वर्ष, निवासी-मॉडर्न टाऊन नं.-8 नेहरूनगर, भिलाई (छ.ग. चालक मारूती वेन क्रं.-एम.पी. 24 एल. 1587

5. विमल सुराना आत्मज बी.एल. सुराना निवासी-सुराना भवन मालवीय रोड,रायपुर (छ.ग. मालिक मारूती वेन क्रं.-एम.पी. 24 एल. 1587

6. न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,बजरंग मार्केट रायपुर (छत्तीसगढ़) बीमा कंपनी मारूती वेन क्रं-एम.पी. 24 एल. 1587

अपील अंतर्गत धारा 173 मोटर वाहन अधिनियम 1994 .

यह अपील माननीय न्यायालय प्रथम अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण महोदय, राजनांदगांव (छ.ग.) द्वारा पारित एवार्ड दिनांक 24.9.2002 प्रकरण क्रमांक 37/97 राज गुलाटी एवं अन्य विरूद्ध - कल्लूदास एवं अन्य में पारित एवार्ड के विरूद्ध यह अपील श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है ।

पेज 2 पर ...

अपीलना मूल्यांक - 10,90,500=00

LOK ADALAT

Chhattisgarh High Court Campus, Bilaspur

Case No. MA 482 of 2003

Appellant/s Raj Gulati & another

Versus

Respondent/s Kalodas & others

Appellant with / by Shri S.C. Verma, Advocate

Respondent No.3 with / by Shri Prashant Jayaswal, Sr. Advocate with Shri N.R. Asgar, Advocate & Shri P.N. Sajnani, D.M. of the insurance company.

AWARD

(Passed on 2/12/2006)

Parties file a compromise petition. The terms are just. We hereby record the compromise and pass an award in terms of compromise, and order that ~~appellant~~ / respondent No.3 shall pay to ~~respondent~~ / appellants a sum of Rs. 15,000/- /-by way of compensation together ~~with interest @~~ over and above the amount already granted. ~~% per annum from~~ to

Sd/-
SATISH K. ANGNIHOTRI
Judge -Lok Adalat
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Sd/-
Member – Lok Adalat
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur